भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 205

उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

नए आवासीय विद्यालयों का उन्नयन

†+205. श्री चंदूभाई छगनभाई शिहोरा:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:
श्रीमती पूनमबेन माडम:
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री कंवर सिंह तंवर:
श्री नारायण तातू राणे:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री अनुराग शर्मा:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री कृपानाथ मल्लाह:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:
श्री गजेन द्र सिंह पटेल:
श्री शंकर लालवानी:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
श्री भोजराज नाग:

श्री जगदम्बिका पाल:
श्री बलभद्र माझी:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री अरुण गोविल:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री बिप्लब कुमार देब:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री महेश कश्यप:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री नव चरण माझी:
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत देश में उन्नत किए गए विद्यालयों और नवनिर्मित आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की विशेषकर छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान के पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र के पालघर जिला और जलगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल निर्वाचन क्षेत्र में राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है;
(ख) क्या उक्त योजना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और स्मार्ट विद्यालय और स्मार्ट कक्षाएं जैसी डिजिटल पहलों को शामिल करती है;
(ग) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए इस योजना के अंतर्गत विशेषकर उपरोक्त राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल किए गए स्कूलों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार कुल संख्या कितनी है;
(घ) उक्त योजना के अंतर्गत सभी स्तरों यथा प्राथमिक, मध्य और उच्चतर माध्यमिक स्कूली शिक्षा के लिए प्रस्तावित प्रमुख हस्तक्षेपों का, विशेषकर उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(ङ.) छात्रों के प्रदर्शन में सुधार, नामांकन दर बढ़ाने, बीच में शिक्षा छोड़ने की दर कम करने और लर्निंग आउटकम में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(च) क्या उक्त योजना विशेषकर दिव्यांग छात्रों, जनजातीय और सुदूर क्षेत्रों के छात्रों और बालिकाओं के लिए विशिष्ट प्रावधानों के माध्यम से समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता देती है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(**क**): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है। यह योजना स्कूल शिक्षा को पूर्व-प्राथमिक से बारहवीं कक्षा तक समग्र रूप से देखती है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु सहायता प्रदान करती है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) **2020** की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए।

समग्र शिक्षा अभियान के तहत नए/उन्नत स्कूल और आवासीय स्कूलों/छात्रावासों [उन्नत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) और कार्यात्मक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएवी)] की संख्या, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार, अनुलग्नक में दी गई है।

(**ख**) **और** (**ग**): समग्र शिक्षा के आईसीटी और डिजिटल पहल घटक में कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। इस घटक के अंतर्गत स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कार्यरत आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(**घ**) **और** (**ङ**): समग्र शिक्षा योजना को एनईपी 2020 के साथ संरेखित किया गया है, जिसमें विभिन्न उपायों जैसे कि नई शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना (5 + 3 + 3 + 4), प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) और आधारभूत साक्षरता और संख्यज्ञान (एफएलएन) की शुरूआत के माध्यम से शिक्षा और शैक्षिक परिणामों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और यह 3 वर्ष की बालवाटिका (प्रीस्कूल) से कक्षा **12** तक शिक्षा की पूरी निरंतरता को कवर करती है।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को छात्रों के प्रदर्शन में सुधार, नामांकन दर में वृद्धि, स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने और अधिगम परिणामों में सुधार लाने तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलने/सुदृढ़ करने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास/सुदृढ़ीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और

संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, आरटीई अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति, विभिन्न गुणात्मक घटक, शिक्षक शिक्षा को सुदृढ़ करना और डीआईईटी/बीआरसी/सीआरसी को मजबूत करना, आईसीटी और डिजिटल मध्यवर्तन के प्रावधान सहित स्कूल शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

शौचालयों के निर्माण, विद्यार्थियों के लिए स्वच्छता सुविधाएं और पेयजल, प्राथमिक स्तर पर पात्र बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा नामांकन एवं प्रतिधारण अभियान चलाने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु-अनुरूप प्रवेश और आवासीय तथा गैर-आवासीय बड़े बच्चों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से भी सहायता प्रदान की जाती है। स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा के दायरे में लाने के लिए मौसम अनुरूप छात्रावासों या आवासीय शिविरों, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और परिवहन/अनुरक्षण सुविधाओं का प्रावधान भी उपलब्ध है।

16 से 19 वर्ष की आयु के स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए, सामाजिक-आर्थिक वंचित समूह (एसईडीजी) के बच्चों को एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पूरा करने के लिए प्रति कक्षा प्रति बच्चा 2000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही, आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधान के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) में अध्ययन कर रहे स्कूल न जाने वाले बच्चों के अधिगम अंतराल को कम करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा ब्रिज कोर्स मॉड्यूल तैयार किए गए हैं।

प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सभी कार्यदिवसों में एक बार गरमागरम पका हुआ भोजन दिया जाता है। राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा 8 में पढ़ाई छोड़ने से रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(च): समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (सीडब्लूएसएन के लिए आईई) के लिए एक समर्पित घटक है, ताकि पूर्ण समानता और समावेशन सुनिश्चित किया जा सके, ताकि विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चे स्कूलों में पूरी तरह से भाग ले सकें। इस योजना का उद्देश्य प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक सीडब्ल्यूएसएन की शिक्षा पर ध्यान देना है। यह योजना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 की दिव्यांगता अनुसूची में उल्लिखित एक या अधिक दिव्यांगता वाले सभी दिव्यांगजनों को कवर करती है।

समग्र शिक्षा के आईई घटक के अंतर्गत सभी नामांकित सीडब्ल्यूएसएन और पूर्व-प्राथमिक से कक्षा XII तक घर-आधारित शिक्षा सेवाएं प्राप्त करने वालों की शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3500/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से दिव्यांगजन बालिकाओं को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति के रूप में 10 माह के लिए ₹200/- प्रति माह (₹2000/- प्रति वर्ष) की राशि दी जाती है। समग्र शिक्षा में सभी बच्चों के लिए स्कूलों तक बाधा मुक्त पहुँच हेतु दिव्यांगजनों के अनुकूल शौचालय, रैम्प और रेलिंग युक्त रैम्प का भी प्रावधान है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और समाज कल्याण विभागों के साथ समन्वय में एसएसए के तहत सहायक साधनों(डिवाइस), उपकरणों, शिक्षण अधिगम सामग्री के संदर्भ में विशेष आवश्यकता/सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों के ब्लॉक स्तरीय पहचान शिविरों के संचालन के लिए प्रति ब्लॉक 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है, ताकि इन ब्लॉक स्तरीय शिविरों के माध्यम से सीडब्ल्यूएसएन का मूल्यांकन और प्रमाणन समय पर पूरा किया जा सके।

****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री चंदूभाई छगनभाई शिहोरा एवं अन्य द्वारा "नए आवासीय विद्यालयों के उन्नयन" के संबंध में दिनांक 21/07/2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 205 के भाग (क), (ख) एवं (ग) के उत्तर में उल्लखित अनुलग्नक

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार नए/उन्नत विद्यालय, आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों [उन्नत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) और कार्यात्मक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएवी)], कार्यात्मक आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की संख्या निम्नानुसार है::

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2018-19 से 2025-26 तक स्वीकृत नए/उन्नत स्कूल (स्रोत: प्रबंध)	उन्नत केजीबीवी (दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार, स्रोत: प्रबंध)	कार्यात्मक एनएससीबीएवी (छात्रावास + आवासीय विद्यालय, 30.06.2025 स्थिति के अनुसार, स्रोत: पीएबी 2025-26)	कार्यात्मक आईसीटी प्रयोगशालाएँ (2005-06 से आज तक, स्रोत: प्रबंध 31.05.2025 की स्थिति के अनुसार)	कार्यात्मक स्मार्ट क्लासरूम (2020-21 से अब तक, स्रोत: प्रबंध 31.05.2025 की स्थिति के अनुसार)
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1	-	-	140	-
2.	आंध्र प्रदेश	1	352	18	9099	4691
3.	अरुणाचल प्रदेश	8	37	212	480	141
4.	असम	96	81	14	6903	4036
5.	बिहार	-	86	15	2855	2827
6.	चंडीगढ़ यूटी	-	-	-	107	186
7.	छत्तीसगढ़	78	72	156	2341	5857
8.	दादरा और नगर हवेली और	8	-	-	130	137
9.	दिल्ली	-	-	-	1106	1018
10.	गोवा	-	-	-	460	24
11.	गुजरात	108	115	-	5830	7078
12.	हरियाणा		30	2	3521	3226
13.	हिमाचल प्रदेश	7	9	-	2555	2248
14.	जम्मू एवं कश्मीर	66	-	-	3036	1352

15.	झारखंड	-	203	26	4734	982
16.	कर्नाटक	57	8	6	3293	437
17.	केरल	-	-	6	2409	373
18.	लद्दाख	16	-	29	171	122
19.	लक्षद्वीप	-	-	-	11	-
20.	मध्य प्रदेश	87	107	390	3738	4018
21.	महाराष्ट्र	2	-	10	10134	2257
22.	मणिपुर	60	11	25	785	512
23.	मेघालय	49	8	-	454	25
24.	मिजोरम	76	-	26	507	229
25.	नागालैंड	7	-	13	649	649
26.	ओडिशा	393	184	21	8315	6973
27.	पुदुचेरी	1	-	-	176	145
28.	पंजाब	252	18	5	3969	3567
29.	राजस्थान	1031	149	41	8807	7612
30.	सिक्किम	16	1	4	372	301
31.	तमिलनाडु	8	21	19	13351	865
32.	तेलंगाना	-	475	33	5292	3982
33.	त्रिपुरा	50	7	16	1426	886
34.	उत्तर प्रदेश	350	680	-	3987	18460
35.	उत्तराखंड	7	18	19	621	1537
36.	पश्चिम बंगाल	8	10	31	2788	-
	कुल	**2843**	**2682***	**1137**	**114552**	**86753**

*5138 कार्यात्मक केजीबीवी में से 2682 उन्नत केजीबीवी हैं।

****